भूरीदेवी बनाम बंशीधर वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु0न0 - 6/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19-12-17	पत्रावली ... । वकलाय फरिकेन ...स्थित/ पीठा ... कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। प... पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-12-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28-12-17	पत्रावली ... । वकलाय फरिकेन ...स्थित/ पीठा ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-1-18	पत्रावली ... । वकलाय फरिकेन ...स्थित/ पीठा ... कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-1-18 को पेश हो। Vimla	
16-1-18	पत्रावली ... । वकलाय फरिकेन ...स्थित/ पीठा ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23-1-18	पत्रावली ... स्थित/ पीठा ... कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में ... पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30.1.18	पत्रावली	
30.01.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्टस न. 1 की तामील इन्कारी मय चस्पान्दगी से होकर लौटी है एंव रेस्पोडेन्टस न. 2 की तामील असालतन होकर लौटी है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्टस न. 3 ने जवाब जरिये डाक से भिजवाया है। जिसमें बैंक के हितों का ध्यान रखने बाबत निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने प्रकरण	

Scanned by CamScanner

भूरि देवी बनाम बंशीधर वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु.अपील - 6/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	में बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट के निवेदन पर वकील अपीलान्ट की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्टस ने दस्तावेजात सूची के संलग्न किता–12 दस्तावेजात पेश करते हुए अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 431 रकबा 0.06 हैक्टर व खसरा नम्बर 94, 348, 430, 432, 433, 435, 436, 774, 775, 778, 779, 780, 781 कुल किता 13 कुल रकबा 11.55 हैक्टर तन् ग्राम लांपुवा में स्थित है। जिसके 1/4 हिस्सा की खातेदारी पूर्व में मंगला पुत्र बींजा पिता अपीलार्थी के नाम दर्ज रही है। उक्त भूमि अपीलार्थी की पैत्रृक भूमि है। जिसका रेस्पोडेन्टस संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर तत्कालीन सरंपच से मिलकर अपीलार्थी के पिता मंगलाराम पुत्र बींजाराम की विरासत का खाता खुलवाते समय अपीलार्थीया व उसकी सगी बंहिन माली देवी का हिस्सा कम करने के उद्देश्य से कतई फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्टस सं. 1 ने अपने नाम जरिये नामान्तरण संख्या 521 दिनांक 25.9.2007 को गुपचुप तरीके से रेस्पोडेन्टस सं. 1 ने अपना नाम फर्जी तरीके से दर्ज कराया है। रेस्पोडेन्टस सं. 1 के हक में नामान्तरण संख्या 218 दिनांक 3.5.2000 के द्वारा मृत्तक गोमाराम पुत्र बींजाराम की भूमियों की विरासत का खाता रेस्पोडेन्टस सं. 1 के हक में स्वीकार होकर रेस्पोडेन्टस सं. 1 बंशीधर दत्तक पुत्र गोमाराम की भूमि का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद भी उक्त खातेदारी व विरासत का नजरअदांज करते हुए आपसी मिलीभगत कर पुनः उक्त नामान्तरण संख्या 521 द्वारा इसी बंशीधर को अपीलार्थीया के पिता मंगलाराम का पुत्र बताकर नामान्तकरण स्वीकार किया जो खारिज किये जाने योग्य हैं। एक व्यक्ति को दो पिताओं की सम्पत्ति प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार	

Scanned by CamScanner

भूरिदेवी बनाम वेशीधर वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मुरुतगा - 6/2016	

प्राप्त नहीं हो सकते। अपीलार्थीया की सगी बहिन मालीदेवी नाऔलाद दिनांक 13.01.2014 को फौत हो चूकी है। जिसकी वारिस एकमात्र उसकी सगी बहिन अपीलार्थी ही है। मृत्तका मालीदेवी के नाम दर्ज भूमि का अंकन अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन वकील अपीलाण्ट ने किया है। रेस्पोडेन्टस सं. 1 जो नामान्तकरण सं. 218 दिनांक 3.5.2000 द्वारा गोमाराम की सम्पति का खातेदार बन चुका तो उसके बाद गोमाराम के सगे भाई अपीलार्थीया के पिता मंगलाराम की सम्पति में विरासत में पुत्र बनकर अपना नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार रेस्पोडेन्टस सं. 1 को नहीं होने से नामान्तरण को खारिज किये जाने का निवेदन वकील अपीलान्ट ने किया है।

हमने विद्वान वकील अपीलाण्ट की बहस पर सगौर मनन किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत लापुंवा ने मिटिंग दिनांक 25.9.2007 के द्वारा रेस्पोडेन्टस सं. 1 के नाम नामान्तकरण संख्या 521 सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है जबकि रेस्पोडेन्टस सं. 1 जरिये नामान्तरण संख्या 218 दिनांक 3.5.2000 के द्वारा गोमाराम का दत्तक पुत्र की हैसियत से गोमाराम की सम्पत्ति का खातेदार काश्तकार पूर्व में दर्ज रिकार्ड हो चूका है तथा दत्तक पिता के भाई मंगलाराम की सम्पति में भी इसके उपरान्त नाम राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत लांपुवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 521 दिनांक 25.9.2007 के द्वारा दर्ज करवा लिया है जो कानूनी रूप से गलत है। जिसको अपास्त किया जाना उचित समझता हूँ। रेस्पोडेण्ट न. 1 ने अपनी दत्तक माता बिरदी देवी से हकत्याग लेख दिनांक 26.03.2014 के द्वारा

Scanned by CamScanner

भारिदेवी बनाम बंशीधर वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु0नं0 - 6/2016	
	अपने हक में बंशीधर दत्तक पुत्र गोमाराम मानते हुए तस्दीक कराया है तथा इसके आधार पर जरिये नामान्तरण संख्या 1024 दिनांक 5.5.2016 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन हो चूका है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ट खण्ड क्रम सं. 1 श्रीमाधोपुर ने भी उनवानी प्रकरण बंशीधर उर्फ मनसी दत्तक पुत्र गोमाराम बनाम् बिड़दी देवी वगै0 मुकदमा नम्बर 5/2001 में पारित निर्णय दिनांक 1.3.2012 के द्वारा वादी को स्व0 गोमाराम का वैधानिक रूप से दत्तक पुत्र माना गया है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेण्ट न. 1 गोमाराम का दत्तक पुत्र है। जिसके कारण ग्राम पंचायत लांपुवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 521 दिनांक 25.9.2007 के द्वारा बंशीधर पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/12 दर्ज करवा लिये जाने से उक्त नामान्तकरण को बंशीधर पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/12 हिस्से तक अपास्त किया जाना उचित समझता हूँ। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लांपुवा पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 521 दिनांक 25.09.2007 को बंशीधर पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/12 हिस्से तक निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्टस तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नामान्तकरण दर्ज कर फैसल करे। रेस्पोडेण्टस न. 1 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 2.28 हैक्टर के हिस्सा 1/12 व खसरा नम्बर 431, 348, 430, 432, 433, 435, 436, 774, 775, 778, 779, 780, 781 कुल किता 13 कुल रकबा 11.55 हैक्टर के हिस्सा 1/12 तन् ग्राम [signature]	

Scanned by CamScanner

आरिदेवी बनाम बंशीधर वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु.नं. - 6/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
	लांपुवा में दर्ज रहन को रेसपोडेण्ट न. 1 के नाम इन्ही खसरा नम्बरान् में वंशीधर दत्तक पुत्र गोमाराम के दर्ज हिस्सा 1/4 में स्थानान्तरण करें। पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Scanned by CamScanner